राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

दिनाक 08-09-2008 को प्रात 11.00 बजे सभागार, कुलपति सचिवालय, प्रशासनिक कार्यालय राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में आयोजित प्रबन्ध मण्डल की 72 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण :–

निम्नाकित सदस्य उपस्थित थे :–

1.	डॉ प्रताप नारायण	अध्यक्ष
2.	चौधरी बहादुर सिंह गोदारा, विधायक	सदस्य
3.	श्री गोपाल सिंह	सदस्य
4.	डॉ उमा शंकर शर्मा	सदस्य
5.	श्री काशीनाथ पूनीयां, संयुक्त निदेशक (आयुक्त कृषि के नामित)	सदस्य
6.	डॉ के.एम.एल.पाठक	सदस्य
7.	श्री रतनलाल डागा	सदस्य
8.	डा ए.के. श्रीवास्तव	सदस्य
9.	डा. जब्बर सिंह सोंलकी	सदस्य
10	डा. पी. एल. नेहरा	सदस्य
11	डॉ. स्वरूप सिंह	सदस्य
12	श्री आर. के पाल	सदस्य
13	डॉ आर.एन.कच्छावा	सदस्य
14.	श्री पाल सिहं	सदस्य सचिव

आमंत्रित सदस्य

1. **श्री अरविन्द सिंह शेखावत, (वित्त नियंत्रक)**

प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, प्रमुख शासन सचिव कृषि, सचिव पशु पालन, डॉ एस.एस.आचार्य, सदस्य प्रबन्ध मण्डल बैठक में भाग नहीं ले सके ।

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति ने चौधरी बहादुरसिंह गोदारा, विधायक, श्री गोपाल सिंह, श्री काशीनाथ पूणियां व अन्य माननीय सदस्यों के बैठक में भाग लेने पर स्वागत किया साथ ही डॉ. भवानीसिंह, डॉ मधुसूदन शर्मा द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की तथा डॉ. एस.एस.आचार्य, श्री गोपालसिंह जी के नये सदस्य मनोनीत होने पर स्वागत किया गया। कुलपति महोदय ने सम्मानित सदस्यों को अवगत कराया कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विशेष रूप से विश्वविद्यालय के लिये पॉलिसी निर्धारण करने संबंधी मामले ही माननीय सदस्यों द्वारा रखे जाएं । वित्तीय नियमों, अंकेक्षण आक्षेपों व विश्वविद्यालय / राज्यसरकार द्वारा निर्धारित नियमों संबंधित प्रकरण प्रबन्ध मण्डल की बैठक में नहीं रखे जाएं उन पर उपरोक्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1075	**70 वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनॉक 01.11.2007 एवं 71वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनॉक 22.02.2008 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत।** यह पारित (Resolved) किया गया कि प्रबन्ध मण्डल की 70 वीं बैठक दिनॉक 01.11.2007 एवं 71वीं बैठक दिनॉक 22.2.2008 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाए ।
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1076	**प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनॉक 01.11.2007 एवं 22.02.2008 के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही बाबत।** यह पारित (Resolved) किया गया कि प्रबन्ध मण्डल की 71वीं बैठक दिनॉक 22.2.2008 के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही की पुष्टि की जाएं एवं 70 वीं बैठक दिनॉक 01.11.2007 के कार्यवाही विवरण की निम्न के साथ पुष्टि की जाए :– **राकृवि / बोम–69 / 2007–3 / 1060** माननीय सदस्यों को दो वर्षीय पशुधन सहायक डिप्लोमा कोर्स के बारें में माननीय उच्च न्यायालय से पारित निर्णय, राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटियों की निरीक्षण रिपोट, मंत्रीमण्डल के निर्णय, एवं विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा 5 संस्थाओं की निरीक्षण रिपोर्ट को सदन को अवगत करवाया गया । साथ ही प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह पारित किया गया कि दो वर्षीय पशुधन सहायक डिप्लोमा के लिये सम्बद्व की गई सभी संस्थाओं का प्रति वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा गठित कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जाएं और उसकी रिपोर्ट शैक्षणिक परिषद एवं प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विचारार्थ रखी जाऐ । वर्ष 2008–09 के लिए सम्बद्वता समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात तदनुसार ही बढाई जाएं । **राकृवि / बोम–69 / 2007–3 / 1064(5)** **डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव, माननीय सदस्य ने पेंशन विकल्प के पुनः लेने के बारें में पुर्नविचार की आवश्यकता बताई** कुलसचिव महोदय ने पेंशन पुर्नविकल्प प्रकरण का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे एसएलपी सं0 11515 / 2008 विचाराधीन होने की जानकारी सदन के सामने रखी एवं विश्वविद्यालय में पेंशन फंड में धन की अत्यधिक कमी होने व राज्यसरकार से पेंशन फंड में राशि प्राप्त नहीं होने के कारण वर्तमान में विश्वविद्यालय एवं एमपीयूटी उदयपुर के कार्मिकों को भी पेंशन देने में परेशानी हो रही हैं और निकट भविष्य में यदि पेंशन फंड में राज्यसरकार द्वारा राशि प्राप्त नहीं होती हैं तो विश्वविद्यालय वर्तमान पेंशनधारियों को भी पेंशन नहीं दे सकेगा इसलिये पेंशनधारी बढने पर और अधिक पेंशन फंड की कमी हो जाएगी । प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह पारित किया गया कि पेंशन अवधि की गणना इस विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य कुछ

	निर्धारित विभागों में की गई सेवा अवधिं को सम्मिलित किये जाने के कारण पेंशन विकल्प के पुनः लेने के लिये सरकार को पत्र लिखकर इस बारें में राय मांगी जानी चाहिए ।
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1077	**शैक्षणिक परिषद की 31वीं बैठक दिनॉक 24.07.2008 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत।** यह पारित (Resolved) किया गया कि शैक्षणिक परिषद की 31वीं बैठक दिनॉक 24.7.2008 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाए ।
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1078	**माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेशों की पुष्टि करने बाबत।** यह पारित (Resolved) किया गया कि माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेश एफ.4(1–टी) / राकृवि / सी / 2007–08 / 1802 दिनॉक 15.2.08 एवं एफ.4 (1–आर / राकृवि / सी / 2003–04 / 1805 दिनॉक 18.2.2008 की पुष्टि की जाती हैं ।
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1079	**वित्त समिति की बैठक दिनॉक 5.8.08 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत।** यह पारित (Resolved) किया गया कि वित्त समिति की बैठक दिनॉक 5.8.08 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाए ।
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1080	**विश्वविद्यालय का आय व्यय अनुमान वर्ष 2008–09 संशोधित अनुमान वर्ष 2007–08** यह पारित (Resolved) किया गया कि विश्वविद्यालय का आय व्याय अनुमान वर्ष 2008–09 एवं संशोधित अनुमान वर्ष 2007:08 का अनुमोदन किया जाए । साथ ही यह पारित किया गया कि भविष्य में वित्त नियत्रंक बजट बनाने से पूर्व समस्त अधिष्ठाता /निदेशक के साथ बैठक कर चर्चा करें । साथ ही जो बजट मिला हैं उसे आवश्यकतानुसार आवंटित करने हेतु समस्त शिक्षां/ अनुसंधान/प्रसार शिक्षा के अधिकारियों से विचार विमर्श करें ।
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1081	**विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006–07 के अनुमोदन बाबत।** यह पारित (Resolved) किया गया कि विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006–07 का अनुमोदन किया जाए ।
राकृवि / बोम–72 / 2008–2 / 1082	**To consider the increase in the fee of university panel Advocates pleading cases at supreme court of India, Rajasthan high court and subordinate courts** The matter was discussed at length and it was resolved that fee structure for the panel advocates of University be increased as proposed. It was further resolved that atleast five panel advocates for each, Rajasthan High court Jodhpur and Jaipur should be included in the list of panel advocates.